न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनु

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 120/2018

अनवान :

मैनादेवी पुत्री पतराम पत्नि थानाराम जाति नायक निवासी कलाना हाल ससुराल में आबाद फतेहपुरिया नियामतखां तहसील एवं जिला सिरसा हरियाणा।

- प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम को दुरूस्त करने बाबत

अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री जयकिशन गोदारा

: प्रार्थीया

पेरोकार राज **- अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 30.05.2019

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है रोही मौजा कलाना के खाता सं0 361/324 की कुल 2.315 है0 कृषि भूमि वादिया के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया के पिता पतराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि प्रार्थीया के नाम विरासतन दर्ज हुई थी परन्तु विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का वास्तविक एवं सही नाम मैनादेवी के स्थान पर प्रार्थीया का घरेलु नाम भानी दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया के फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम मैनादेवी दर्ज है एवं इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कलाना एवं प्रार्थीया की ससुराल जहां वह आबाद है उनकी ग्राम पंचायत फतेहपुरिया नियामतखां का तस्दीक शुदा प्रमाण पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीया के पिता पतराम के भानी नामक कोई पुत्री नहीं है बल्कि प्रार्थीया मैनादेवी को ही घरेलु नाम भानी के नाम से घरू तौर पर पुकारा जाता था। प्रार्थीया के सही एंव वास्तविक नाम मैना देवी के स्थान पर उक्त खाता में भानी दर्ज हो गया जो एक लिपिकीय भूल है। उक्त भूल सद्भावी है परन्तु प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में भानी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरित असर पड़ता है एंव कुठाराघात हो रहा है एवं प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि पर ऋण स्वीकृत नहीं करवा पा रही है एवं अन्य राज्य सरकार का लाभ भी नामों की भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसलिए प्रार्थीया अपने नाम की बाबत जरिऐ संशोधन दुरूस्त करवा पाने की मजाज कानूनी है।

30.5.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने रोही मौजा कलाना के खाता सं0 361/324 में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीया के पिता पतराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि प्रार्थीया के नाम विरासतन दर्ज हुई थी परन्तु विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का वास्तविक एवं सही नाम मैनादेवी के स्थान पर प्रार्थीया का घरेलु नाम भानी दर्ज हो गया अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीया ने चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम कलाना खाता सं0 361/224 सम्वत् 2074–77 प्रदर्श 1, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत कलाना प्रदर्श 2, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत फतेहपुरिया प्रदर्श 3, चित्रप्रति राशन कार्ड प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 5ए, चित्रप्रति वोटर आईडी कार्ड प्रदर्श 6ए, चित्रप्रति वोटर लिस्ट 1980 पेश किये है किन्तु उक्त दस्तावेजात प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होना अंकित किया है परन्तु प्रार्थीया ने उक्त विरासतन नामांतरकरण की प्रमाणित प्रति पेश नहीं कि है ना ही ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश किया है जिससे प्रार्थीया के सही नाम की पुष्टि हो सके। इस प्रकार प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के असफल रही है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.5.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ